



शुष्कफल परियोजना
उद्यान विज्ञान विभाग
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर, जिला जयपुर, राजस्थान-303329
दूरभाष: 01425-254030 (ऑ), 01425-254030 (फैक्स)

क्रमांक: उद्यान/सू०प०/2018/13०7

दिनांक: 11.07.2018

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उद्यान विज्ञान विभाग में शुष्क फल परियोजना के अन्तर्गत अजमेर, पुष्कर, चौमू व राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में बेर, आंवला, वील व अन्य शुष्क फलों के उद्यानों के सर्वे कार्य हेतु बोलेरो/ईनोवा एसी वाली 5 से 7सवारीयों के लिये टैक्सी वाहन की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु टैक्सी वाहन मालिक / फर्म अपने वाहन कि किराया दर राशि प्रति किलोमीटर की दर से 200किमी प्रतिदिन तक एवं 200 किमी प्रतिदिन से अधिक की राशि सहित बन्द लिफाफे में निविदाये दिनांक 17.07.2018 को 11.00 बजे तक शुष्कफल परियोजना प्रभारी, उद्यान विज्ञान विभाग, जोबनेर को भेजने का श्रम करें। निविदा उसी दिन प्रातः 11.00 बजे तक निविदा समिति/सदस्यगण, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय के समक्ष खोली जायेगी। यह निविदा 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेगी। निविदा समिति द्वारा स्वीकृत वाहन मालिक को वाहन की आवश्यकता होने पर 48 घंटे पूर्व सूचना कर दी जावेगी। जिसके तहत वाहन मालिक को वाहन की व्यवस्था करनी होगी।


शर्त:-

1. निविदा बतौर धरोहर राशि रूपये 1000/- जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. वाहन का किराया AICRP शुष्क फल परियोजना में बिल पास होने पर ही भुगतान किया जावेगा।
3. वाहन से सम्बन्धित सभी कर (टोल टैक्स, पार्किंग एवं अन्य खर्च) टैक्सी वाहन मालिक को ही वहन करने होंगे।
4. निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदादाता को किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षकर्त्ता का होगा।
7. वाहन का आल राजस्थान टैक्सी परमिट होना आवश्यक है।
8. वाहन का टैक्सी परमीट व चालक का लाइसेंस होना आवश्यक है।
9. वाहन वर्ष 2013 के बाद का पंजीकृत होना आवश्यक है।
10. भ्रमण के दौरान अकस्मात किसी भी घटना कि स्थिति में वाहन चालक एवं वाहन कि क्षतिपूर्ति के लिये वाहन मालिक ही पूर्ण जिम्मेदार होगा।
11. आर.टी.ओ. सम्बन्धित किसी भी तरह के खर्च वाहन मालिक को स्वयं को वहन करना होगा।
12. निविदा को निरस्त करने के सभी अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित होगा।
13. निविदाता द्वारा समय पर यात्रा हेतु वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म पर सख्त कार्यवाही की जायेगी एवं फर्म /व्यक्ति का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

परियोजना प्रभारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
2. विभागध्यक्ष, उद्यान विज्ञान विभाग,
3. संयोजक निविदा कमेटी/सदस्यगण/श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. मैसर्स /श्री
5. नगरपालिका नोटिस बोर्ड, जोबनेर।
6. नोटिस बोर्ड, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
7. ओ/सी सिमका को भेजकर लेख है कि वो विश्वविद्यालय कि वेबसाइट पर अपलोड करावे।


परियोजना प्रभारी



शुष्कफल परियोजना
उद्यान विज्ञान विभाग
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर, जिला जयपुर, राजस्थान-303329
दूरभाष: 01425-254030 (ऑ), 01425-254030 (फैक्स)

परियोजना प्रभारी

निविदा प्रपत्र

- 1.परियोजना का नाम - शुष्क फल परियोजना, उद्यान विज्ञान विभाग, श्री कर्ण नरेन्द्र
कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2.कार्यावधि - वित्तीय वर्ष 2018-19

निविदा दरें

3. 200 किमी तक एवं अधिक प्रतिदिन वाहन चलने पर दरें

क्रमांक	वाहन का प्रकार	दर/किमी (200 किमी प्रतिदिन तक)	दर/किमी (200 किमी प्रतिदिन से अधिक)
1	बेलेरो(एसी)		
2	ईनोवा(एसी)		
3			
4			

हस्ताक्षर वाहन मालिक

पता